न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा
पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1496/2026
(CNR No. UPET010049592026)

1. अजय उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र श्यामविहारी,
2. पवन उर्फ पंकज उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र सतेन्द्र सिंह,
3. देवेश उर्फ सनी उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र बिजेन्द्र पाल,
   निवासीगण घिलौआ, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।

----आवेदक/अभियुक्तगण

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं0–225/2026
धारा–190,191(2),191(3),115(2),352,351(3),109(1) बी०एन०एस० एवं **7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम**
थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

14.08.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **अजय, पवन उर्फ पंकज** एवं **देवेश उर्फ सनी** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**225/2026** धारा–**190,191(2),191(3),115(2),352,351(3),109(1) बी०एन०एस०** एवं **7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,** थाना **कोतवाली देहात**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा यह उल्लिखित किया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2026 को समय करीब 08.30 बजे सुबह डायल 112 द्वारा थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घिलौआ में दो पक्षों में जमीन पर कब्जे को लेकर आपस में कहासुनी व मारपीट कर रहे है। इस सूचना पर वादी उ0नि0 दुलीचन्द यादव मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण मौके पर पहुंचा तो देखा कि प्रथम पक्ष के योगेश, राकेश, सतेन्द्र, जगमोहन, श्यामविहारी, बिजेन्द्र पाल, अजय, अनुज, पंकज, नीरज, संतोष, सनी व द्वितीय पक्ष मोहर सिंह, धर्मवीर, ज्ञानदीप उर्फ बोबी, गोविन्द, शिवम, देव सिंह, सत्यवीर, यदुवीर, भवर सिंह, अतेन्द्र सिंह, जितेन्द्र व 8–10 अज्ञात स्त्री पुरुष एक दूसरे को गाली गलोज करते हुये व लाठी डण्डो से मारपीट व जान से मारने की नीयत से एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस वालो ने दोनों पक्षों को शांत होने के लिए चिल्लाकर बार बार कहा गया तो नहीं माने और उत्तेजित होकर एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर रहे थे। मौके पर अफरा तफरी व भय का माहौल व्याप्त हो गया, जिससे आने जाने वाले लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लोग अपने घर के दरवाजे बन्द करने लगे, जिससे घिलौआ गांव मे लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी भय व आतंक का माहौल हो गया। उक्त घटना की सूचना पर जनजीवन को सामान्य प्रवाह के लिए प्रभारी निरीक्षक को सूचित किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल के मौके पर आये। मौके से दो खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। पुलिस वालों ने दोनो पक्षों को पकडने का प्रयास किया तो मौके से भागते हुये सतेन्द्र, बिजेन्द्र पाल, जगमोहन, राकेश कुमार व मोहर सिह, ज्ञानदीप उर्फ बोबी, धर्मवीर व यदुवीर उपरोक्त को समय करीव 10.30 बजे हिम्मत अकली से पकड़ लिया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्हें रंजिशन झूठा फँसाया गया है। आवेदकगण ने ना तो द्वितीय पक्ष

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.08.14 15:45:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की मारपीट की, ना गाली गलौज की और ना ही फायरिंग की। उक्त घटना में किसी भी पक्ष के कोई चोट नहीं आयी है। उनके विरुद्ध कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। सहअभियुक्तगण राकेश, सतेन्द्र, जगमोहन, विजेन्द्र, मौहर सिंह, ग्यानदीप, धर्मवीर व यदुवीर की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। उनका घटना कारित करने का कोई हेतुक नहीं है। वे दिनांक 10.08.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक व्यवस्था भंग करते हुए लाठी–डण्डों एवं आग्नेयास्त्रों से मारपीट एवं फायरिंग की है। घटना के समय पुलिस दल स्वयं मौके पर उपस्थित था, जिसने दोनों पक्षों को उपद्रव करते हुए देखा तथा मौके से 315 बोर के दो खोखा कारतूस भी बरामद हुए। मामला गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक व्यवस्था भंग करते हुए लाठी–डण्डों से एक–दूसरे के साथ मारपीट करने एवं आग्नेयास्त्र से फायरिंग करने का अभियोग है, जिससे आम जानमानस में भय का माहौल उत्पन्न हुआ। कथित घटना में किसी पक्ष को कोई चोट आना अभियोजन द्वारा नहीं बताया गया है। सहअभियुक्तगण राकेश, सतेन्द्र, जगमोहन, विजेन्द्र, मौहर सिंह, ग्यानदीप, धर्मवीर व यदुवीर आदि की जमानत इस न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 10.08.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/ अभियुक्तगण **अजय, पवन उर्फ पंकज** एवं **देवेश उर्फ सनी** का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्तगण अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास–पचास हजार रुपये की दो–दो जमानते व समान धनराशि के निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 14.08.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।